न्यायालय सत्र न्यायाधीश, गाजीपुर
उपस्थितः धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय (एच 0 जे0 एस 0)
(JO CODE UP2002)
अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1171/2026
CNR No. UPGH010027412026

अजीत राजभर उम्र लगभग 26 वर्ष पुत्र रामबचन राजभर निवासी ग्राम कटयां, थाना सादात, जिला गाजीपुर। **––––––आवेदक/अभियुक्त**

बनाम

1– उ०प्र० सरकार द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, गाजीपुर।
2– अंजली कुमारी उम्र 21 वर्ष पुत्री लालजी राजभर निवासिनी भटौली, थाना देवगाँव, जिला आजमगढ़। वर्तमान पता ग्राम कटया, थाना सादात, जिला गाजीपुर।
3– पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर।

–––––विपक्षीगण

मु०अ०सं०–179/2025
धारा–69,89,351(3) भारतीय न्याय संहिता
थाना–सादात, **जनपद** गाजीपुर।
अभियुक्त की ओर सेः श्री जलील अहमद, एडवोकेट
राज्य की ओर सेः श्री कृपाशंकर राय, जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक)

06–06–2026 **आदेश**

1– प्रस्तुत प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त अजीत राजभर की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–179/2025, धारा–69,89,351(3) भारतीय न्याय संहिता, थाना सादात, जिला गाजीपुर के मामले में अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा द्वारा संबंधित थाना पर इस आशय का अभियोग दर्ज कराया गया कि प्रार्थिनी अपने ननिहाल मे अपने मामा चन्दन राजभर के यहाँ बचपन से ही रहकर पढायी करती रही है। उसकी जन्म तिथि 25–07–2004 है । प्रार्थिनी के ननिहाल के गाँव का ही निवासी अजीत राजभर कुछ पहले शादी का झाँसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाता रहा। उसके शारीरिक सम्बन्ध बनाने से प्रार्थिनी गर्भवती हो गयी। तब प्रार्थिनी को समाज में बेइज्ज़ती होने का डर दिखाकर गर्भपात करा दिया था। जब प्रार्थिनी कहती है कि उससे शादी कर लो तब प्रार्थिनी को जान से मारने की धमकी देकर गुजरात भाग जाता है। वर्तमान समय मे गुजरात में ही रह रहा है। उक्त तहरीर के आधार पर अभियुक्त अजीत राजभर के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या 179/2025, अंतर्गत धारा 69,89,351(3) भारतीय न्याय संहिता, थाना सादात, जिला गाजीपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

3– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष हैं तथा उनके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह कथन किया गया है कि जब आवेदक/अभियुक्त ने वादिनी मुकदमा से विवाह नही किया तब उसने यह प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना सादात मे दर्ज करायी है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद आवेदक/अभियुक्त तथा वादिनी मुकदमा जो दोनो बालिग थे हिन्दू धर्म शास्त्र एवं रीति रिवाज बिरादरी के अनुसार अपना विवाह करके

तहसील जखनियाँ जिला गाजीपुर में उपनिबंधक कार्यालय जखनियाँ से दिनांक 08–05–2026 को विवाह का पंजीकरण भी करा लिया है और आवेदक/अभियुक्त व वादिनी अब पति पत्नी के तरह रह रहे है। आवेदक/अभियुक्त तथा वादिनी ने अपने विवाह पंजीकरण को अपने प्रार्थना पत्र के साथ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजीपुर में भी भेज दिया है, लेकिन थाना सादात का उपरोक्त अपराध का विवेचना कर रहे विवेचक आवेदक/अभियुक्त की उपरोक्त अपराध में गिरफ्तारी करने के लिये दबिश दे रहे है जिससे आवेदक/अभियुक्त को गिरफ्तारी का भय हो गया है। आवेदक/अभियुक्त ने कोई अपराध नहीं किया है। रिपोर्टर वादिनी से आवेदक/अभियुक्त ने विवाह किया है क्योंकि दोनो बालिग है और पति पत्नी हो गये है। जिसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक गाजीपुर व थाना सादात को भी दी जा चुकी है। इसके बावजूद भी पुलिस आवेदक/अभियुक्त को गिरफ्तार करके उपरोक्त अपराध में चलान करना चाहती है। उपरोक्त अपराध मे गिरफ्तारी का कोई औचित्य नही रह गया है और 8 माह एफ आई आर दर्ज किये हुए हो चुका हैं। उक्त के आधार पर आवेदक/अभियुक्त द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी।

4– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया तथा यह तर्क दिया गया कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा से शादी का झाँसा देकर शारीरिक संबंध बनाया गया है। उक्त के आधार पर जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

5– मैंने प्रथम सूचना रिपोर्ट, केस डायरी, पीड़िता का बयान अंतर्गत धारा 180 बी०एन०एस०एस० व धारा 183 बी०एन०एस०एस० एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक/अभियुक्त पर वादिनी मुकदमा के साथ शादी का झाँसा देकर शारीरिक संबंध बनाने एवं शादी से इंकार करने का आरोप लगाया गया है। पीड़िता ने अपने बयान अंतर्गत धारा 183 बी०एन०एस०एस० में भी कथन किया है कि आवेदक/अभियुक्त उसके साथ शादी का झाँसा देकर शारीरिक संबंध बनाया था, परन्तु दौरान सुनवाई पीड़िता अपने अधिवक्ता श्री भानु प्रताप श्रीवास्तव, पंजियन संख्या 6817/03 के साथ न्यायालय में उपस्थित हुई एवं इस आशय का प्रार्थनापत्र एवं शपथ पत्र दाखिल किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद आवेदक/अभियुक्त अजीत राजभर ने उसके साथ हिन्दू रीति रिवाज से शादी कर लिया और अब वे दोनों पति–पत्नी के रूप में रहकर वैवाहिक जीवनयापन कर रहे है। उक्त विवाह का पंजीयन भी दिनांक 08–05–2026 को उपनिबन्धन कार्यालय जखनियाँ, गाजीपुर में उपस्थित होकर करा लिया है। विवाह पंजीयन की छायाप्रति भी दाखिल की गयी है।

6– चूँकि आवेदक/अभियुक्त पर पीड़िता के साथ शादी का झाँसा देकर शारीरिक संबंध बनाने एवं शादी से इंकार करने का आरोप लगाया गया था। अब आवेदक/अभियुक्त द्वारा पीड़िता से शादी कर लिया गया है। आवेदक/अभियुक्त व पीड़िता दोनों वयस्क है तथा उन दोनों का विवाह भी हो चुका है। उक्त विवाह का पंजीयन भी उपनिबन्धन कार्यालय जखनियाँ, गाजीपुर में कराया गया है। अतः मामले के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुणदोष पर बिना कोई मत व्यक्त किये इस स्तर पर आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने का पर्याप्त आधार है।

7– आवेदक/अभियुक्त अजीत राजभर के द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। गिरफ्तारी की दशा में आवेदक/अभियुक्त द्वारा संबंधित पुलिस अधिकारी के समक्ष मुब० 1,00,000/–रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं विधि व्यवस्था **Smt. Bacchi Devi Vs State of U.P and Another (2025 SCC Online ALL 5286)** व **Pappu Met @Pappu Vs State of U.P. & Anr. Matters Under Article 227 No. 15205 of 2025 Judgement dated 11 December 2025** में प्रतिपादित सिद्धातों के दृष्टिगत सम राशि की एक प्रतिभू दाखिल करने पर उसे निम्न शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर छोड़ दिया जाये कि–

(I) आवेदक/अभियुक्त विवेचना में सहयोग करेगा व पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले परिप्रश्नों का उत्तर देने ले लिये जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध होगा।

(II) मामले को न्यायालय में प्रेषित किये जाने की स्थित में आवेदक/अभियुक्त की व्यक्तिगत हाजिरी जब तक विचारण न्यायालय द्वारा माफ नहीं की जायेगी तब तक वह प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता रहेगा,

(III) आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि उन्हें ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी अन्य पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिये मनाया जा सकें,

(IV) आवेदक/अभियुक्त न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा,

(V) आवेदक/अभियुक्त आरोपित अपराध के समान ऐसे किसी अन्य अपराध में संलिप्त नहीं होगा, जिसमें उसे आरोपित किया गया है

दिनांकः 06–06–2026

(धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय)
सत्र न्यायाधीश
गाजीपुर
JO CODE UP2002

Digitally signed by Dharmendra Kumar Pandey
Date: 2026.06.06 19:08:00 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court